

20/9/00407

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर फौजल

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 47/2021

प्रार्थी

अप्रार्थी

~~नरनाथ साहिब तारावीलवाड़ा मुन्ना रामासागर देवा राधा राधा देवी~~

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट 1956


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

26/2/2021

तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)के तहत जमाबन्दी में मौजूद खसरो को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकार्ड मौका व नक्शों में भिन्नता आ रही है यथा किररी सरकारी खसरो में से कई खातेदारों को पूर्व में गै.मु. बाड़ा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबों के खसरो आवंटित किये गये जिनका नामान्तरकरण पूरा कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरो को मूल खसरो में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी पीपराली ग्राम राठेरा कुल खसरा 432 रकबा 75-13 मय अनुशाषा भूअ,निरीक्षक ए.ध एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुयें जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मुल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP)के तहत रेकार्ड में विभाजन का रेकार्ड दुरुस्ती करें। पत्रावली फौजल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी